



2026:AHC: 60932

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5657/2026

गंगाराम उर्फ कक्कू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	: ज्ञानेन्द्र कुमार सैनी, शेख मोअज्जम इनाम
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1- सूचनादाता की ओर से अधिवक्ता सुश्री अमृता सिंह ने वकालतनामा दाखिल किया है। इसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनादाता की अधिवक्ता सुश्री अमृता सिंह के होल्डींग ब्रीफ अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार शर्मा और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.पी. त्रिपाठी को सुना गया।

3- बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना मंडी धनौरा, जिला अमरोहा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 409 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 105 के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक को वर्तमान वाद में झूठा फँसाया गया है। यह अभिकथित है कि घटना 08.07.2025 को हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट 10.10.2025 को दर्ज की गई थी। यह देरी अभियोजन के प्रकरण के लिए घातक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को दो चोटें आईं; (i) दाहिने पैर पर 1 सेमी x 1 सेमी का घर्षणयुक्त गुम चोट, दाहिने घुटने के जोड़ से 24 सेमी दूर, (ii) बाएँ पैर पर 1.5 सेमी x 2.1 सेमी का घर्षणयुक्त गुम चोट, बाएँ घुटने के जोड़ से 20 सेमी दूर। डॉक्टर की राय में, मृत्यु का कारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है। इसके अलावा, डॉक्टर अर्थात् डॉ. मुदित गौतम ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि मृतक ने शराब का सेवन किया था, घुटने के क्षेत्र के नीचे स्थित दो गुम चोट को छोड़कर कोई चोट नहीं पाई गई। यह तर्क दिया गया है कि चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करता है। मृत्यु का कारण कथित घटना को नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को पूरक शपथ पत्र के प्रस्तर 2 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक 21.01.2026 से कारागार में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5- विद्वान ए.जी.ए. और सूचनादाता के अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है लेकिन अभिलेख से पूर्वोक्त प्रस्तुतीकरणों का संतोषजनक ढंग से खंडन नहीं कर सके।

6- पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया यह पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है। डॉक्टर की राय के अनुसार, मृत्यु का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है। डॉक्टर ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि मृतक ने शराब का सेवन किया था, घुटने के क्षेत्र के नीचे स्थित दो गुम चोटों को छोड़कर कोई चोट नहीं पाई गई। इसके अलावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करती है। इसके अलावा, आवेदक दो माह से अधिक समय तक निरूद्ध रहा है और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद विचारण के जल्द निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, और वह भी तब जब राज्य द्वारा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह या तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा या विचारण में देरी करेगा या साक्षीगण को डराएगा-धमकाएगा, वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7- पूर्वोक्त वाद में शामिल आवेदक **गंगाराम उर्फ कक्कू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए कि वह:

(i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा।

8- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

24 मार्च, 2026

एल बी एम/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)